समक्ष– उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 96 वर्ष 2022

राजेश कुमार दुदानी **...आवेदक**

बनाम

उत्तराखंड राज्य व अन्य **...प्रतिवादीगण**

उपस्थितः–
आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जितेंद्र चौधरी।
श्री शोभित सहारिया, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए अधिवक्ता।

माननीय रवींद्र मैथानी, जे. (मौखिक)

आवेदक सूर्यांचल फर्नीटेक एवं मैसर्स दून ट्रेडिंग कंपनी के नाम से दो व्यवसायों को संचालित कर रहा है। उसे केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (''अधिनियम'') की धारा 70 के तहत दिनांक 12.05.2022 को तलब किया गया था। वह अग्रिम जमानत चाहता है।

2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागणों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जैसे ही आवेदक को अधिनियम की धारा 70 के तहत तलब किया गया, उसने इस न्यायालय के समक्ष आवेदन किया तथा उसे अंतरिम राहत प्रदान की गई। इस न्यायालय के आदेशानुसार आवेदक अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हुआ। उसने पूर्ण सहयोग किया और अभी भी आवेदक जांच में सहयोग करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार एवं इच्छुक है। यह भी कथन किया गया है कि आवेदक ने प्राधिकारियों के पास लगभग एक हजार पृष्ठों के कागजात भी प्रस्तुत किए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में निम्नलिखित बिन्दु भी उठाएः–

(i) प्रतिवादी संख्या 2 एक अन्य प्राइमा एंड कंपनी के संबंध में भी जांच कर रहा है, जिसका कोई संबंध आवेदक से नहीं है। आवेदक का जिससे कोई लेना–देना नहीं है।

(ii) यदि प्रतिवादी संख्या 2 का वाद आवेदक के खिलाफ स्वीकार कर भी लिया जाता है तब भी अपराध, यदि कोई साबित हो जाता है, तब भी जमानतीय प्रकृति का है। अधिनियम की धारा 132 का सन्दर्भ दिया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 के अनुसार, आवेदक ने जाली और नकली चालानों के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (''आईटीसी'') का दावा किया था। कुल धनराशि, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कथन किया गया है, रुपये 500 लाख से अधिक नहीं है और यह अधिनियम की धारा 132 (4) के तहत जमानतीय प्रकृति का है।

(iii) आवेदक को गिरफ्तार करने से पहले, प्रतिवादी संख्या 2 को अधिनियम की धारा 69 के तहत आयुक्त से अनुमति लेने की आवश्यकता है, जो उसके द्वारा वर्तमान याचिका इस न्यायालय में योजित होने के 6 माह की अवधि के बाद भी नहीं ली गई है। यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आवेदक की गिरफ्तारी आवश्यक है।

4. अपने कथनों के समर्थन में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने विधिक सुस्थापित व्यवस्था पर जोर दिया गया, जैसा कि डाईरेक्टर जनरल, जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) बनाम लुपिता सलूजा, {2021}, 128 Taxmann.com 373 (SC), में अवधारित किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि, वास्तव में, इस मामले में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश जो जमानत याचिका संख्या 319 वर्ष 2021 व सीआरएल.एम.बी. 92 वर्ष 2021 में पारित किया गया था, को सम्पुष्ट किया गया, जिसके प्रस्तर 18 में, यह कहा गया है कि ''उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत, मेरी राय में आवेदक की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।''

5. उनके द्वारा तरुण जैन बनाम डाईरेक्टरेट जनरल GST इंटेलिजेंस (DGGI), {2021}, 132 Taxmann.com 299 (दिल्ली) में पारित निर्णय पर भी जोर दिया गया। उक्त निर्णय के कुछ

प्रस्तरों का संदर्भ यह तर्क देने के लिए किया गया है कि ऐसे मामलों में, हिरासत में पूछताछ की न तो आवश्यकता है और न ही कोई विधिक प्रावधान है। वास्तव में, इस मामले में, प्रस्तर 55 में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि, ''वर्तमान मामले में हिरासत में पूछताछ न की तो आवश्यकता है और न ही कोई विधिक प्रावधान है।''

6. वहीं दूसरी तरफ, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि योजनाबद्ध तरीके से, आवेदक ने कर के भुगतान का अपवंचन किया। यह भी कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या–2 किसी सुरेंद्र सिंह से संबंधित मामलों की जांच कर रहा था। तब यह तथ्य प्रकाश में आया कि कोविड–19 महामारी से पूर्व, उनकी लगभग 90 प्रतिशत कर देनदारियों को नकद खाता बही के माध्यम से निस्तारित कर दिया गया, लेकिन कोविड–19 महामारी के दौरान, जब घर से कार्य शुरू हुआ, तो यह ठीक उल्टा हो गया और 90 प्रतिशत कर देनदारी क्रेडिट बहीखाता के माध्यम से दर्शित की गई। प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, जब मामले की आगे जांच की गई, तो यह पता चला कि सुरेंद्र सिंह लगभग 18 फर्मों के साथ व्यापार कर रहे थे, जिनमें से तीन आवेदक से संबंधित थीं, दो उनके अपने नाम पर और एक उनकी पत्नी के नाम पर थी। फर्जी चालान बनाए गए थे। प्रकरण में स्पष्टतः भारी धनराशि सम्मिलित है। यह भी पाया गया कि वास्तव में कुछ वाहनों में सामान ले जाया जाना दर्शित किया गया, जिनकी भार वहन क्षमता बहुत कम थी, लेकिन उनके माध्यम से अत्यधिक मात्रा में भार का परिवहन दर्शित किया गया। यह भी पता चला कि कुछ वाहन, जिनके द्वारा सामानों का परिवहन दिखाया गया था, संबंधित समयावधि पर कई अन्य राज्यों में पाये गये, जिसकी पुष्टि फास्टैग भुगतान से की गई।

7. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय में दाखिल आपत्ति में बहुत अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है। मामले के संक्षिप्त तथ्य, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 2 ने सुरेंद्र सिंह के विरूद्ध दी गई शिकायत में वर्णित है, निम्नवत् है

''यूकेजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 के तहत फर्मों की सन्निरक्षा के दौरान, कर भुगतान के तरीके में बदलाव प्रकाश में आया। यह पाया गया कि कुछ फर्में जो पहले नकद धनराशि के माध्यम से कर का भुगतान कर रही थीं, बाद में कई राज्यों में फैली फर्जी फर्मों के जाल के माध्यम से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की उच्च धनराशि की वापसी की सुविधा का लाभ ले रही थी एवं उपयोग कर रही थीं। उक्त फर्में जनशक्ति आपूर्ति का काम कर रही थीं, लेकिन उन्होंने दिल्ली और हरियाणा में पंजीकृत फर्मों से लोहा, प्लाइवुड इत्याादि की आवक खरीद दिखायी थी। इसके अलावा, इन फर्मों ने महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में पंजीकृत फर्मों को लोहे, प्लाइवुड इत्यादि की बिक्री दर्शित की थी। जारी किये गये ई–वे बिलों से माल की आवाजाही और ई–वे बिल एमआईएस सिस्टम पर आरएफआईडी संबंधित वाहन रिपोर्ट की जांच करने पर, यह पाया गया कि या तो सम्बंधित वाहनों द्वारा टोल प्लाजों को पार नहीं किया गया है या वाहन किसी अन्य राज्य में टोल प्लाजों को पार कर रहा था। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि माल की आवाजाही के लिए ई–वे बिल में दर्ज कुछ वाहन या तो अपनी क्षमता से बहुत अधिक माल का परिवहन कर रहे थे या दुपहिया और तिपहिया वाहन थे।

इसलिए, यह माना गया कि आई.टी.सी. का लाभ लेने एवं उसका उपयोग करने के लिए फर्जी चालान जारी किए गए जबकि माल की कोई वास्तविक आवाजाही कभी नहीं हुई। इसलिए, इन फर्मों की जांच की गई और यह पाया गया कि सभी फर्मों को अभियुक्त श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा संचालित किया जा रहा था। श्री सुरेंद्र सिंह ने यूकेजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 70 के तहत दर्ज अपने बयानों में यह कथन किया कि ये फर्जी बिल उन्हें श्री राजेश दुदानी द्वारा दिये गये। श्री राजेश दुदानी की प्रकरण में भूमिका की जांच की जा रही है। श्री राजेश दुदानी को तलब किया गया है, हालांकि, वह तलबी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहा है तथा उपायुक्त के समक्ष पेश होने में विफल रहे हैं।

8. राज्य सरकार के अनुसार, आवेदक द्वारा अपनी फर्म के माध्यम से भारी मात्रा में लेनदेन किया गया था।

9. प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक को

अंतरिम राहत दिये जाने के उपरांत उसके द्वारा जांच में कोई सहयोग नहीं किया गया। वह प्रश्नों से बचता रहा। उसके द्वारा विभिन्न प्रश्नों का जवाब देने से इंकार कर दिया गया।

10. प्रश्नगत अधिनियम से संबंधित मामले में अग्रिम जमानत के प्रावधान को उचित तरीके से लागू किया जा सकता है। जिसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पी.वी. रमना रेड्डी बनाम भारत संघ, (2021)2 एससीसी 784 के निर्णय में की गई है। आवेदक की ओर से उद्धृत न्याय निर्णयनों में, ऐसा कोई विधिक अभिनिर्णय दिया गया है जो प्रश्नगत अधिनियम से सम्बंधित मामलों में यह अवधारित करता हो कि हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्येक मामले में अग्रिम जमानत दी ही जानी चाहिए, जिसमें अधिनियम की धारा 70 के तहत किसी व्यक्ति को तलब किया गया हो।

11. प्रत्येक वाद अपने तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर होता है। हिरासत में पूछताछ उन पहलुओं में से एक है, जिस पर अग्रिम जमानत के मामलों में विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त कई अन्य बिन्दुओं पर भी विचार किया जाना होता है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिद्धाराम सितलिंगप्पा म्हात्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य, (2011)1 SCC 694, में उद्धृत किया गया है। उक्त निर्णय के प्रस्तर 112 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नबत अवधारित किया है किः–

''112. अग्रिम जमानत आवेदनों के निस्तारण में निम्नलिखित तथ्यों एवं मापदंडों पर विचार किया जा सकता हैः–

(i) आरोप की प्रकृति और गंभीरता एवं अभियुक्त की वास्तविक भूमिका को गिरफ्तारी से पूर्व समयक रूप से देखा जाना चाहिए।

(ii) आवेदक का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि क्या अभियुक्त किसी अन्य संज्ञेय अपराध के संबंध में अदालत द्वारा सजा पर पहले कारावास काट चुका है,

(iii) आवेदक के न्याय प्रणाली से दूर भागने की संभावना।

(iv) अभियुक्त के समान व अन्य अपराधों को दोहराने की संभावना।

(v) जहां आरोप आवेदक को गिरफ्तार करके अपमानित करने एवं क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से लगाए गए हों।

(vi) विशेष रूप से बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने वाले बड़े परिणाम के मामलों में अग्रिम जमानत देने का प्रभाव।

(vii) अदालतों को आरोपी के खिलाफ उपलब्ध पूर्ण सामग्री का बहुत सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। अदालत को मामले में अभियुक्त की वास्तविक भूमिका को भी स्पष्ट रूप से संकलित करना चाहिए। जिन मामलों में अभियुक्त को दंड संहिता, 1860 की धारा 34 और 149 की सहायता से फंसाया गया हो, अदालत को और भी अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकाधिक रूप से मामलों में फंसाना सामान्य ज्ञान और चिंता का विषय है।

(viii) अग्रिम जमानत की याचना पर विचार करते समय दो तथ्यों मध्य संतुलन बनाया जाना चाहिए यथा स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पूर्ण जांच में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अभियुक्तों के उत्पीड़न, अपमान और अनुचित हिरासत की रोकथाम होनी चाहिए।

(ix) साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका एवं शिकायतकर्ता को धमकी की आशंका को भी न्यायालय द्वारा विचार में लिया जाना चाहिए।

(x) अभियोजन में असत्यता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और जमानत प्रदान करते समय केवल वास्तविकता के तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए और अगर अभियोजन की वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह होने की स्थिति में अभियुक्त, सामान्य परिस्थितियों में जमानत आदेश का हकदार होता है।''

12. सुशीला अग्रवाल व अन्य बनाम राज्य सरकार (एनसीटी ऑफ दिल्ली) व अन्य 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 98 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर पुनः

विचार किया गया है।

13. प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जांच के दौरान जो प्रश्न आवेदक से पूछे गए थे और जो प्रतिउत्तर उसके द्वारा दिया गया था, को न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया है। आवेदक से पूछा गया था कि यह कैसे संभव है कि एक वाहन, जिसकी भार क्षमता 1550 किलोग्राम वहन करने की है, कैसे 22750 किलोग्राम माल का परिवहन किया गया? इसका कोई संतोषजनक प्रतिउत्तर नहीं दिया गया था। कुछ वाहनों की किसी विशिष्ट स्थान पर मौजूदगी के संबंध में जब आवेदक से प्रतिउत्तर मांगा गया, तो उसके प्रतिउत्तर इस सम्बंध में भी भ्रामक थे।

14. प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क रखा कि आवेदक के विरूद्ध देनदारी अब तक लगभग रु. 393 लाख है। प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बयान दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 प्रकरण में किसी भी तरीके से कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जो कानून द्वारा प्राविधानिक न हो। यदि गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता उत्पन्न हुई, तो कानून की जो भी आवश्यकता है, उसका निश्चित रूप से पालन किया जाएगा।

15. आरोप बहुत गंभीर हैं। यह आईटीसी का दावा करने के लिए फर्जी और जाली चालान बनाने का मामला है। अपनी आपत्तियों में, प्रतिवादी संख्या 2 ने ऐसे संदिग्ध लेन–देनों का स्पष्ट विवरण दिया है और यह भी बताया है कि कैसे एक दिन में पैसा अलग–अलग खातों में संचरित होता चला गया। आवेदक ने अपनी पत्नी के खाते में धनराशि को स्थानांतरित कर दिया, और तत्पश्चात् उसके खाते से, यह आवेदक के खाते में आ गया। यह इस प्रकार का कार्य है, जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त जांच के दौरान आवेदक का असहयोगात्मक रवैया रहा है। उससे पूछा गया कि क्या वह किसी रोहिल एंटरप्राइजेज (प्रश्न संख्या 66) को जानता है। उसने इसका जवाब नहीं दिया। उसने कहा, 'मैं सुनवाई की अगली तारीख पर इसका जवाब दूंगा।'

16. अपराध की गंभीरता और इसके प्रभाव पर विचार करने के उपरांत, इस न्यायालय का यह मत है कि आवेदक अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं है। तदनुसार, वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होने योग्य है।

17. अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

(रवींद्र मैथानी, जे.)
22.09.2022